न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2024 अपील

श्री श्याम सुन्दर पुत्र भंवर लाल शर्मा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।	बनाम	राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा।
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण संख्या 02/2022 दिनांक 10.02.2022

उपस्थित –

1. अपीलार्थी स्वयं – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09/5/.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण संख्या 02/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 10.02.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का समेलिया द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम समेलिया में स्थित बिलानाम आराजी खसरा संख्या 1922, 1169 रकबा 0.51 हैक्टयर किस्म गैमु0 नाला पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर संवत 2078 में फसल रबी के दौरान सरसों, गैमु कुंआ काश्त कर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को बेदखल किये जाने व लगान का 50 गुणा 75/– रूपये व कुंआ के 1275/– रूपये वसूलने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी को आराजी नम्बर 1169 पर कुंआ काश्त के रूप में अतिक्रमी बताया गया जबकि जिला कलक्टर भीलवाड़ा समस्या समाधान शिविर, शाहपुरा के आदेश की पालना में राजस्थान भू राजस्व सिंचाई कार्यो के लिये कुआं बनाने एवं पम्पिंग सेट लगाने हेतु नियम 1979 की धारा 12(ए) के तहत अपीलार्थी को आराजी नम्बर 627 मी. जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 1169 हैं में से 05 बिस्वा भूमि आवंटन कर मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया है। अपीलार्थी की खातेदारी हक अधिकार की आराजी नम्बर 1903, 1920, 1921, 2806/1923, 2307/1923 पर आने जाने का रास्ता आराजी नम्बर 1930 से होकर 1922 में होते हुए अपनी अराजियात पर आता जाता है व आराजी नम्बर 1922 जो कि रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है, मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार से सरसो या अन्य कोई फसल काश्त नहीं की है। पटवार हल्का द्वारा तथ्यों को छुपाकर दुर्भावना पूर्वक गलत रिपोर्ट पेश की गई जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन नही कर जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित किया है। अतः निवेदन है कि

जिला कलक्टर
शाहपुरा

अपील अपीलार्थी स्वीकार कर न्यायालय नायब तहसीलदार शाहपुरा के प्रकरण संख्या 02/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में दिनांक 10.02.2022 को पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

2. प्रस्तुत अपील न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 06.04.2022 को दायर की जाकर दिनांक 01.01.2024 को प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

3. दिनांक 01.05.2024 को विपक्षी अनुपस्थित होने से अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार कर न्यायालय नायब तहसीलदार शाहपुरा के प्रकरण संख्या 02/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में दिनांक 10.02.2022 को पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

5. मामले के तथ्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि अपीलार्थी को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा समस्या समाधान शिविर, शाहपुरा के आदेश के आदेश क्रमांक कुआ/नियमन/92/651-653 दिनांक 20.06.1992 से राजस्थान भू राजस्व सिंचाई कार्यों के लिये कुआं बनाने एवं पम्पिंग सेट लगाने हेतु नियम 1979 की धारा 12(ए) के तहत आराजी नम्बर 627 मी. जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 1169 हैं में से 05 बिस्वा भूमि लीज पर गैर खातेदारी से नियमन की गई थी। इसलिए उक्त आराजी पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आराजी खसरा संख्या 1922 पर भी अपीलार्थी के अतिक्रमण के बारे में विपक्षी द्वारा काई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजियात पर अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं है। न्यायालय नायव तहसीलदार शाहपुरा के प्रकरण संख्या 02/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में दिनांक 10.02.2022 को पारित निर्णय अपास्त होने योग्य है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव-

आदेश

6. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा ग्राम समेलिया स्थित आराजी संख्या 1922, 1169 रकबा क्रमशः 0.51, 0.01 हैक्टयर से संबंधित प्रकरण संख्या 02/2022 में दिनांक 10.02.2022 को पारित निर्णय अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 9/5/.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा